कार्यालयः प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बुलन्दशहर

विज्ञप्ति

विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2007 के सन्दर्भ में निर्गत शासनादेश दिनांक 10.07.2007, 13.07.2007 एवं माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के अनुपालन में निर्गत शासनादेशों के प्रति प्रकाशित विज्ञप्तियों के क्रम में प्राप्त आवेदन पत्रों में अंकित विवरण के आधार पर विशेष अपील सं0 186/2008 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम विजय बहादुर में एवं विशेष अपील सं0 178/2008 अरूण कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 13.2.2008 के अनुपालन में जनपद–**बुलन्दशहर** हेतु निर्धारित 968 सीटों के सापेक्ष द्वितीय अनन्तिम चयन सूची निर्गत कर दी गई है। सम्बन्धित सूची एवं कट ऑफ मेरिट का विवरण संस्थान/जिला विद्यालय निरीक्षक, कार्यालय/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा है। प्रथम अनन्तिम चयन सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों द्वारा दिये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। अभ्यर्थी **Website – http://bulandshahar@nic.in** पर अथवा **www.scertup.org** के **Home page** पर बने **Link 'Second Interim Select List'/** द्वितीय अनन्तिम सूची पर क्लिक करके अपना नाम देख सकते हैं। सूची से सम्बन्धित अभ्यर्थी रूपये 10/– के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र (संस्थान के नोटिस बोर्ड एवं बेवसाइट पर उपलब्ध) एवं अपने समस्त मूल शैक्षिक अंकपत्र व प्रमाण पत्र, जाति आरक्षण/विशेष आरक्षण/शिक्षा मित्र सम्बन्धी प्रमाण पत्र तथा उनकी दो सेट स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति एवं पासपोर्ट साइज के दो नवीनतम फोटोग्राफ, दो फाइल कवर व टैग के साथ दिनांक 24–3–2008 से 25–3–2008 के मध्य प्रातः 9.30 बजे संस्थान में उपस्थित हों।

समस्त सूचियों के कट–ऑफ मेरिट का विवरण

श्रेणी	शिक्षामित्रों से भिन्न				शिक्षामित्र	
	महिला		पुरूष		महिला	पुरूष
	कला	विज्ञान	कला	विज्ञान		
सामान्य	264.38	264.88	253.00	255.65	182.85	218.33
अनु0जाति	240.27	231.59	232.21	233.78	—	194.84
अनु0जनजाति	—	—	222.88	—	—	—
अन्य पिछड़ा वर्ग	255.53	251.46	249.52	250.92	—	216.36

विशेष आरक्षण	शिक्षामित्र से भिन्न		शिक्षामित्र	
	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष
विकलांग				
दृष्टिबाधित (5)	—	224.93	....	—
श्रवणह्रास (6)	....	—	....	....
चलन क्रिया (7)	....	....	....	....
स्व0सं0सैनानी आश्रित (8)	—	222.94	....	....
भू0पू0सैनिक (9)	....	193.96	....	....

नोट–

1– "यह अनन्तिम चयन सूची माननीय उच्च न्यायालय/मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं किसी लिपिकीय त्रुटि के संधान के अधीन होगी ।"

2– जारी की गयी अनन्तिम चयन सूची किसी भी रूप में अन्तिम चयन सूची नहीं है तथा रिशफलिंग एवं अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण–पत्रों की निगर्मन संस्थान से सत्यापन के अधीन होगी ।

3– यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते होते हैं, तो भविष्य में उनके अभ्यर्थन के प्रति विचार नहीं किया जायेगा । और इसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगें तथा उनका अभ्यर्थन निरस्त करते हुए वरीयताक्रम में अगले अर्ह अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पर विचार किया जायेगा तथा भविष्य में उनके किसी दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
बुलन्दशहर